न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 74/2018 (उदयपुर डिक्री)

भीमसिंह पिता ओनारसिंह जी राजपूत, निवासी पालड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..............अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.............रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा

दिनांक 10.07.2017 प्र.सं. 601/13

———/———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

3– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक नगर विकास प्रन्यास

———::———

निर्णय **दिनांक 15–12–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पालडी में साबिक आराजी नंबर 357/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 897 रकबा 0.5800 हैक्टर है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है, जिस पर वादी का कब्जा संवत् 2031 के भी पहले से यानि 01–07–1974 के पहले से व 01–01–1970 के पूर्व से चला आ रहा है, जो जिन्स गिरदावरियों से स्पष्ट है। वादी ने लाखों रूपये खर्च कर भूमि को आबादान किया है एवं सिंचाई के लिए कुंआ खुदवाया है तथा काश्त करता चला आ रहा है। यह भूमि वादी की खातेदारी से मिली होकर चारों ओर पत्थर की कोट बनाकर फाटक लगा रखी है। तहसीलदार ने भी अपने आदेश दिनांक 18–05–1992 [illegible] कब्जा संवत् 2031 से पूर्व का

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.01.19 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

माना है, जिसे 34 वर्ष हो चुके हैं तथा वादी भूमिहीन काश्तकार होने से नियमन की पात्रता रखता है। वादी का कब्जा 30 वर्ष से अधिक समय से होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादी विवादित भूमि का खातेदार हो चुका है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा विवादित भूमि बिलानाम सरकार होने एवं कब्जा भी सरकार का होने का कथन करते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जाने के आधार पर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–07–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से नगर विकास प्रन्यास के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित निर्णय व डिक्री अपीलान्ट व उसके वकील को बिना सुने व बिना सूचना दिये पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10–07–2018 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन किया एवं पत्रावली का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 की अपीलान्ट को जानकारी होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ मौके के फोटोग्राफ्स व सी.डी. प्रस्तुत कर न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं मात्र फोटोग्राफ्स एवं सी.डी. प्रस्तुत की गयी हैं, जो साक्ष्य हेतु ग्राह्य नहीं हैं।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट का अपने बाप–दादाओं के समय से शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है इसलिए तहसीलदार गिर्वा ने अपीलान्ट के नाम जमीन नियमन करने हेतु दिनांक 18–05–1992 को आदेश दिया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया है। राज्य सरकार के नवीनतम आदेश के अनुक्रम में अपीलान्ट का कब्जा दिनांक 01–09–1984 से पूर्व का होने से भूमि नियमन योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपने पुराने कब्जे बाबत् जो दस्तावेजात पेश किये गये, उस ओर अधिनस्थ न्यायालय कोई गौर नहीं किया तथा बिना अपीलान्ट को सूचना दिये एवं बिना सुने प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण मेरिट पर सुनवाई करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम दर्ज है एवं वादी/अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

नगर विकास प्रन्यास के विद्वान अधिवक्ता ने भी राजकीय अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–05–1992 से अपीलान्ट का कब्जा संवत् 2031 अर्थात दिनांक 01–07–1974 से पूर्व का होना स्पष्ट है। इसी कारण तहसीलदार ने भूमि नियमन योग्य मानते हुए नियमानुसार नियमन किये जाने हेतु पत्रावली नियमन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों से भी अपीलान्ट का पुराना कब्जा प्रमाणित होता है, किन्तु काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स[illegible]देय नहीं होने के कारण अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो न्यायिक नजीर आर.आर. टी. 2011 (2) पेज 70 अनुसार विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं तदनुसार अपील खारिज योग्य पाते हैं। किन्तु अपीलान्ट अपने पुराने कब्जे के आधार पर एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–05–1992 के अनुक्रम में अपना प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

भीमसिंह पिता ओनारसिंह राजपूत, निवासी पालडी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**74 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर**.....
.....**फास्ट ट्रेक गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**15**.....माह.....**12**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री कमेलश चौहान/नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**15**.....माह.....**12**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.01.19 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested